न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–02/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि. तीसरी मंजिल, सुन्दर विला, वोडाफोन स्टोर के उपर, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनीष नारायण कल्ला		• मनोज सिंघवी पुत्र उम्मेदमल सिंघवी बी–26, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, जिला जोधपुर • शर्मिला सिंघवी पत्नी मनोज सिंघवी बी–26, कमला नेहरू नगर, प्रथम विस्तार, जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :– **आदेश दिनांक :–18.03.2024**

1–चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मनोज सिंघवी पुत्र उम्मेदमल सिंघवी व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 25,00,000/– मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **मनोज सिंघवी पुत्र उम्मेदमल सिंघवी** की जायदाद **आवासीय सम्पति अवस्थित दक्षिणी भाग ए पट्टा नम्बर 97, मिसल नम्बर 50/48–49, प्रथम बी–रोड, सरदारपुरा जोधपुर-- उपरोक्त सम्पति के सभी अभिन्न अंग सम्पति भूमि और भवन, संरचना निर्माण व प्रतिष्ठान शामिल, जिसका कुल क्षेत्रफल 873 वर्गफीट, जिसके उत्तर में ओमप्रकाश उत्तरी हिस्सा, दक्षिण में अचलूराम जी मकान, पूर्व मं 50 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में 9 फीट चौडी गली आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज वसूली करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 12.10.2023 तक 25,1[illegible] रूपये भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:44:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 25,00,000/– मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 12.10.2023 तक 25,14,433/रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **मनोज सिंघवी पुत्र उम्मेदमल सिंघवी** की जायदाद **आवासीय सम्पति अवस्थित दक्षिणी भाग ए पट्टा नम्बर 97, मिसल नम्बर 50/48–49, प्रथम बी–रोड, सरदारपुरा जोधपुर– उपरोक्त सम्पति के सभी अभिन्न अंग सम्पति भूमि और भवन, रांरचना निर्माण व प्रतिष्ठान शामिल, जिसका कुल क्षेत्रफल 973 वर्गफीट. जिसके उत्तर में ओमप्रकाश उत्तरी हिस्सा, दक्षिण में अचलूराम जी मकान, पूर्व में 50 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में 9 फीट चौड़ी गली आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:44:31 IST
Reason: SelfAttested